प्रेस विज्ञप्ति

30.10.2024

भारत ने वैश्विक परिसंपत्ति वसूली नेटवर्क को मजबूत किया: परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क- एशिया प्रशांत (ऐसेट रिकवरी इन्टरएजेंसी नेटवर्क –एशिया पैसिफिक) की संचालन समिति में हुआ शामिल, 2026 में अध्यक्षता संभालेगा और वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रतिनिधित्व में भारत को परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क- एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) की संचालन समिति में शामिल किया गया है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपराध की आय से निपटने के लिए समर्पित एक प्रमुख बहु-एजेंसी नेटवर्क है और वैश्विक कैमडेन परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क (कैमडेन ऐसेट रिकवरी इन्टरएजेंसी नेटवर्क -सीएआरआईएन) का सदस्य है। यह नई भूमिका भारत को परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क- एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) द्वारा लिए जाने वाले निर्णय में सहयोग और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में योगदान करने में सक्षम बनाएगी, जिससे इसके आर्थिक अपराधों से निपटने और वैश्विक स्तर पर परिसंपत्ति वसूली के मिशन को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क-एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) के संबंध में भारत के योगदान की महत्वपूर्ण मान्यता के परिप्रेक्ष्य में भारत नेटवर्क की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2026 में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की मेजबानी करेगा। यह उपलब्धि परिसंपत्ति वसूली में भारत के नेतृत्व को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाने हेतु एक अनूठा मंच प्रदान करती है।

परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क-एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) की स्थापना परिसंपत्ति का पता लगाने, उसे फ्रीज करने और जब्त करने के लिए सीमा पार सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी, परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क-एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) में 28 सदस्य क्षेत्राधिकार और नौ पर्यवेक्षक शामिल हैं और यह कैमडेन परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क (कैमडेन ऐसेट रिकवरी इन्टरएजेंसी नेटवर्क -सीएआरआईएन) के हिस्से के रूप में एक अनौपचारिक लेकिन मजबूत नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। यह संपर्क बिंदुओं के एक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है, जो सदस्य एजेंसियों और भारत की नोडल एजेंसी के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाली ईडी सहित कैमडेन परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क (कैमडेन ऐसेट रिकवरी इन्टरएजेंसी नेटवर्क -सीएआरआईएन) के 100 से अधिक क्षेत्राधिकारों के बीच प्रभावी संचार और खुफिया आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है।

परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क-एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सभी अपराधों से अर्जित आय से प्राप्त परिसंपत्तियों की खोज और वसूली को प्राथमिकता देना।
- परिसंपत्ति वसूली में विशेषज्ञता के केंद्र के रूप में स्वयं को स्थापित करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना और ज्ञान साझा करना।
- संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूनाईटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम-यूएनओडीसी) और कैमडेन परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क (कैमडेन ऐसेट रिकवरी इन्टरएजेंसी नेटवर्क -सीएआरआईएन) जैसे संगठनों के साथ प्रशिक्षण, अनुसंधान और साझेदारी को सुविधाजनक बनाना।
- अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग को बढ़ावा देना।

परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क- एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) और कैमडेन परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क (कैमडेन ऐसेट रिकवरी इन्टरएजेंसी नेटवर्क -सीएआरआईएन) क्षेत्राधिकारों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस नेटवर्क से लाभ मिलता है, क्योंकि यह सीमा पार की आपराधिक गतिविधियों से संबंधित चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों का पता लगाने में सहायता करता है। परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क- एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) और वृहत्तर कैमडेन परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क (कैमडेन ऐसेट रिकवरी इन्टरएजेंसी नेटवर्क -सीएआरआईएन) के माध्यम से, एजेंसियाँ व्यक्तियों, परिसंपत्तियों और कंपनियों के बारे में अनौपचारिक रूप से जानकारी का आदान-प्रदान कर सकती हैं, जिससे प्रायः अपराध की आय की पहचान और वसूली में तेज़ी आती है।

परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क- एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) में भारत की भागीदारी परिसंपत्ति का पता लगाने और वसूली की चुनौतियों का समाधान करने में सहायक रही है, खासकर विदेशी संबंधों वाले मामलों में। इस मंच ने ईडी को अनौपचारिक रूप से खुफिया जानकारी प्राप्त करने और साझा करने में सक्षम बनाया है, जिससे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से औपचारिक कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह जी20 ढांचे के तहत भारत की प्राथमिकताओं, विशेष रूप से भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने और परिसंपत्ति की वसूली पर केंद्रित नौ सूत्री एजेंडा के साथ संरेखित है, जिसका प्रतिपादन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है।

9th ARIN-AP
Annual General Meeting
Sydney, Australia 2024
Asset Recovery Interagency Network - Asia Pacific
EXIT